भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3424
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक कोर्ट और ग्राम न्यायालय

3424. श्री बिप्लब कुमार देब :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट और ग्राम न्यायालयों की स्थापना जैसी पहलों के बावजूद विभिन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट और ग्राम न्यायालयों की स्थापना के बाद से अब तक निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) पिछले पाँच वर्षों में त्रिपुरा राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट और ग्राम न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या सरकार का लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए और अधिक न्यायालय स्थापित करने तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 28.07.2025 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	लंबित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	86,844
2.	उच्च न्यायालयों	63,32,256
3.	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय	4,66,69,624

(ख) और (ग) : त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार, उनके संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से स्थापित किए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग ने जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, लाइलाज बीमारियों से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित दीवानी मामलों और 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित संपत्ति

संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 2015-2020 के दौरान 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) स्थापित करने की सिफारिश की थी। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 30.06.2025 तक 14,38,198 लंबित मामलों के साथ 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में **865 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं** ।इन अदालतों ने जनवरी 2023 से जून 2025 की अवधि के दौरान 33,92,281 मामलों का निपटारा किया है, जिनमें त्रिपुरा राज्य के 579 मामले सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त, दांडिक विधि(संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के अनुसरण में और माननीय उच्चतम न्यायालय के स्वतः संज्ञान रिट (दांडिक) संख्या 1/2019 के निर्देशों के अनुपालन में, केंद्रीय सरकार अक्टूबर 2019 से विशेष POCSO (e-POCSO) न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSCs) की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है। ये न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) के अधीन अपराधों और बलात्संग से संबंधित लंबित मामलों के समयबद्ध परीक्षण और निपटान के लिए समर्पित हैं। 30.06.2025 तक, **392 विशेष** POCSO (e-POCSO) **न्यायालयों सहित 725** (FTSCs) 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2,00,349 लंबित मामलों के साथ कार्यरत हैं। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इन न्यायालयों ने 30.06.2025 तक 3,34,213 मामलों का निपटारा किया है, जिनमें त्रिपुरा राज्य के 489 मामले सम्मिलित हैं।

ग्राम न्यायालयों की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अधीन की गई थी, जिसका उद्देश्य बुनियादी स्तर पर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को सुलभ, वहनीय और शीघ्र न्याय प्रदान करना था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 15 राज्यों में **488** ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 11 राज्यों में वर्तमान में **331** कार्यरत हैं। ग्राम न्यायालय पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर, 2020 से जून, 2025 की अवधि के दौरान, ग्राम न्यायालयों में कुल 5,39,535 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 4,11,071 मामलों का निपटान किया जा चुका है। 30.06.2025 तक, इन अदालतों में 1,28,464 मामले लंबित हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 1(2) के अनुसार, यह अधिनियम त्रिपुरा राज्य पर लागू नहीं होता है। तदनुसार, त्रिपुरा राज्य के संबंध में ग्राम न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान के संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

(घ) : वर्तमान में सरकार के पास किसी भी उच्च न्यायालय की स्थापना का कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है। संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 124 , 217 और 224 द्वारा निर्धारित होती हैं ।उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) में निर्धारित की गई है, जिसे 6 अक्टूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के फैसले (द्वितीय न्यायाधीशों का मामला) के साथ 28 अक्टूबर, 1998 के उनके सलाहकार मत (तृतीय न्यायाधीशों का मामला) के साथ पढ़ा गया है। MoP के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की शुरुआत करना, भारत के मुख्य न्यायामूर्ति के पास निहित है और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव की शुरुआत करना संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास निहित है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनकी सिफारिश SCC द्वारा की जाती है।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो अपनी आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से कार्य करती हैं। जहां तक न्यायालयों में न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भर्ती का संबंध है, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों की जिम्मेदारी है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के संबंध में नियम और विनियम बनाती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2007 में मलिक मजहर सुल्तान मामले में पारित आदेश के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ कुछ समयसीमाएं निर्धारित की हैं, जिनका पालन राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए करना है ।
